

पड़ोसी के अधिकार के बारे में इस्लाम का क्या कहना है ?

अल्लाह के रसूल -सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम- ने फ़रमाया है : "अल्लाह की क़सम ! वह व्यक्ति मोमिन नहीं है, अल्लाह की क़सम ! वह व्यक्ति मोमिन नहीं है, अल्लाह की क़सम ! वह व्यक्ति मोमिन नहीं है, अल्लाह की क़सम ! वह व्यक्ति मोमिन नहीं है।" पूछा गया कि ऐ अल्लाह के रसूल ! यह बात आप किसके बारे में कह रहे हैं ? आपने उत्तर दिया : "जिसका पड़ोसी उसकी तकलीफ़ से सुरक्षित नहीं रहता ।" [249] [सहीह बुख़ारी तथा सहीह मुस्लिम]

अल्लाह के रसूल -सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम- ने फ़रमाया है : "पड़ोसी को शुफ़आ का अधिकार (अर्थात वह खरीदार पर ज़ोर डालकर पड़ोसी की संपत्ति खरीद सकता है) है । यदि पड़ोसी ग़ायब हो तो उसकी प्रतीक्षा की जाएगी, यदि उन दोनों का रास्ता एक हो ।" [250] [मुसनद इमाम अहमद]

अल्लाह के रसूल -सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम- ने फ़रमाया है : "ऐ अबूज़र ! जब शोरबा पकाओ, तो उसमें पानी ज़्यादा डाल दो और पड़ोसियों का भी ख़्याल रख लो ।" [251] [इसे इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है ।]

अल्लाह के रसूल -सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम- ने फ़रमाया है : "जिसके पास ज़मीन हो और वह उसे बेचना चाहता हो, तो (पहले) खरीदने का अवसर अपने पड़ोसी को दे ।" [252] [यह हदीस सहीह है और सुनन इब्न-ए-माजा में मौजूद है ।]

इस्लाम - प्रश्न एवं उत्तर के माध्यम से

Reference: <https://www.womentreatment.com/qa/hi/show/95/>

Arabic Reference: <https://www.womentreatment.com/qa/ar/show/95/>

Wednesday 17th of June 2026 04:23:01 PM